


फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपस्थित कानूनशास्त्री सिकराय

..... बनाम

किस्म मुकदमा दादा मु० नं० २५१
१३५/०९

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/20	<p>पत्रावली पेश है। वकीलों द्वारा कार्य स्थगित/प्र.सी. सा. राज्य कार्य में व्यस्त/दोरे पर काम है, जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 10/20 को पेश है।</p>	
10/20	<p>पत्रावली पेश है। वकीलों द्वारा कार्य स्थगित/प्र.सी. सा. राज्य कार्य में व्यस्त/दोरे पर काम है, जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 10/20 को पेश है।</p>	
5/20	<p>पत्रावली पेश है। वकीलों द्वारा कार्य स्थगित/प्र.सी. सा. राज्य कार्य में व्यस्त/दोरे पर काम है, जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 5/20 को पेश है।</p>	
21/20	<p>पत्रावली पेश है। वकीलों द्वारा कार्य स्थगित/प्र.सी. सा. राज्य कार्य में व्यस्त, दोरे पर काम है, जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 21/20 को पेश है।</p>	
9/20	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों ने स्वीकार किया कि प्रति वाद आवरिस फॉर दै चूकेट तथा उनका कोई विधिक वारिस मौजूद नहीं है। अतः वाद वादीगण इसी स्तर पर खारिज किया जाकर तहसीलदार सिकराय को आदेशित किया जाता है कि वे 60-61 RTA व राजगाम्भी आधीमेयस की धारा-८ के मुताबिक आवश्यक वाद सक्षम न्यायालयों में दायर करें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सिकराय को फाइल की प्रतिलिपि साक्षर जारी हो। निर्णय आज दि. 9.11.20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  9.11.20 </p>	